



राजस्थान


सरकार

# रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 1952 की धारा 11 के अन्तर्गत  
संख्या: 227/1952-53/राजस्थान सहकारी अधिनियम 1952/राजस्थान


तथा अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति .....  
पंचायत समिति ..... पोस्ट ग्राम ..... जिला ..... के नाम से स्वीकृत किया गया तथा  
उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 23.6.53 को क्रमांक 227/1952/राजस्थान पर उपरोक्त  
अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और तबत अधिनियम,  
द्वारा अस्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उप-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर-सहित आज दिनांक 23-6-53 को जारी  
किया गया।



सहकारी समितियाँ, जोधपुर

एक सब के लिए।



सब एक के लिए।।

जय सहकार

# हनुमान नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., हनुमान नगर

गांव/पोस्ट-हनुमान नगर, पं. स.-लूणी, जिला-जोधपुर (राज.)

पंजीयन सं. : 2405 Q / दिनांक : 23-6-2001

Ref. No.

दिनांक \_\_\_\_\_